>

Title: Need to fill the temporary post of Rural Engineers Working Under MGNREGA.

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं मध्य प्रदेश में मां जालपा की नगरी, राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से आता हूं। 'मनरेगा' भारत सरकार की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है, जिसके कारण मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़ सहित पूरे देश में मजदूरों का पलायन रुका है। संबंधित मजदूरों के अपने गृह क्षेत्र में 100 दिन के रोजगार हेतु मजदूरी करने के साथ अपनी खेती, किसानी, पशु-पालन व अन्य पारिवारिक एवं सामाजिक कार्य भी वे अपने घर पर ही रह कर कर लेते हैं। इससे उनका जीवर स्तर तो सुधरा ही है साथ ही साथ बच्चों को समुचित शिक्षा तथा उसके अन्य छोटे-मोटे रोजगार के साधन, दूध एवं सब्जी के व्यवसाय आदि की ओर भी वह समुचित ध्यान देने लगा है।

महोदय, उक्त योजना के पंचायत स्तर पर क्रियान्वयन में ग्रामीण इंजीनियर एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके संबंध में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जिन ग्राम पंचायतों में एक वर्ष में 50 लाख रुपए की राशि से अधिक के निर्माण कार्य होते हैं, वहां स्थानीय स्तर पर उनकी नियुक्ति की जाए, परन्तु मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़ में 50 लाख रुपए की राशि से अधिक निर्माण कार्य करने वाली ऐसी ग्राम पंचायतों में ग्रामीण इंजीनियरों के इन अस्थाई पदों की पूर्ति पूर्ण रूप से अभी तक नहीं हो पाई है। जिला अधिकारियों द्वारा बताया जाता है कि इन पदों की स्वीकृति राज्य शासन से प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में पद स्वीकृति के अभाव में ये नियुक्तियां अवरुद्ध पड़ी हुई हैं।

मेरा इस संबंध में अनुरोध है कि 'मनरेगा' जैसी महत्वपूर्ण योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जिन ग्राम पंचायतों में एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए की राशि से अधिक के कार्य सम्पादित हो चुके हैं, उन ग्राम पंचायतों में ग्रामीण इंजीनियर के अस्थाई पद को स्वीकृत करने तथा इसी प्रकार जिन ग्राम पंचायतों में ग्रामीण इंजीनियर नियुक्त है व एक वित्तीय वर्ष में उन पंचायतों में 50 लाख रुपए से कम की राशि के कार्य सम्पादित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उक्त ग्रामीण इंजीनियर के पद को समाप्त करने एवं स्वीकृत करने का अधिकार जिला स्तर पर कलेक्टर को दिया जाना उचित होगा, ताकि विलम्ब न हो। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गणेश सिंह : सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव है कि जब जीरो आवर शाम को चले, तो आपकी तरफ से सभी माननीय सदस्यों से आग्रह हो जाए कि वे बोलकर तुरन्त न जाएं, बल्कि वे सदन के स्थगित होने तक बैठें, क्योंकि उनके चले जाने से हाउस खाली रहता है और अच्छा भी नहीं लगता है।

सभापति महोदय : नियम में है कि कोई भी सदस्य अपना भाषण कर के तुरन्त बाहर नहीं जाएगा।

श्री गणेश सिंह : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि उस नियम का हवाला देते हुए एक बार पुनः माननीय सदस्यों को स्मरण कराया जाना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी): माननीय सभापति जी, मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आदरणीय संसद-सदस्य भाइयों से मैं रुकने के लिए रिक्वैस्ट करता हूं, लेकिन वे नहीं रुकते हैं, तो मैं क्या करूं।